समाहरणालय, चतरा। (राजस्व शाखा)

पत्रांक...../ रा० प्रेषक.

दिनांक.....

40

उपायुक्त, चतरा।

सेवा में

वन प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तरी वन प्रमंडल,चतरा।

विषय:-चतरा जिला के अंतर्गत अंचल-हंटरगंज के ग्राम-बोड़ा में ग्रीड सब स्टेशन निर्माण हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् Form II एवं सैद्धान्तिक अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक चतरा जिला के अंतर्गत अंचल-हंटरगंज के ग्राम-बोड़ा में ग्रीड सब स्टेशन निर्माण हेतु निम्नांकित भूमि का वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् Form II एवं सैद्धान्तिक अनापत्ति प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है–

0ক্	अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकवा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7	õ
1	हंटरगंज	बोडा	133	85	40		0
		•		00	40	10.00	गैरमजरुआ खास जंगल

अनुलग्नकः-यथोक्त।

विश्वासभाजन.

Eo)r उपायुक्त, चतरा।

प्रतिलिपिः--

1. सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ समर्पित।

2.वरीय प्रबंधक, संचरण प्रमण्डल हजारीबाग को सूचनार्थ कार्रवाई हेत् प्रेषित।

आवश्यक उपायुक्त, चतरा।

समाहरणालय, चतरा। (राजस्व शाखा)

सं०

दिनांक ... 2. 2...... (3.6 / 9

प्रमाण–पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-5/स0भू० लातेहार-1/2010 1817/रा० राँची दिनांक-30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागो/ कम्पनियों/ प्रतिष्ठानो/ उद्यमो/ ऐजेन्सियों/निगमों/बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाडी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला-चतरा, अंचल-इंटगंज के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रुप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है:--

क्र0	अंचल	मौजा	थाना	खाता	प्लॉट नं0	कुल	भूमि का किस्म
			नं0	नं0		रकवा	
						(एकड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हंटरगंज	बोड़ा	133	85	40	10.00	गैरमजरुआ खास जंगल
1					कुल—	10.00	

उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है, झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ग्रीड सब स्टेशन निर्माण के लिए भूमि अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रुप से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि:--

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय।
- पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
- गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

उपायुक्त चतरा।

FORM-II (For projects other than linear projects) Government of Jharkhand Office of the District Collector, Chatra

No. 5.2.9.

Dated. 2.2. .. 0.6.19

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that <u>4.047</u> hectare (<u>10.00 acres</u>) of forest land proposed to be diverted in favour of **Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited** for **Construction of Grid Sub Station** in **Chatra** district falls within jurisdiction of **Boda** village in **Hunterganj** tehsil. It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <u>4.047</u> hectare <u>(10.00 acres)</u> of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed division. A copy of certificate issued by the gram sabha of Boda village is enclosed as annexure I.
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Jitendra Kumar Singh

Encls.: As above.